26/12/24

पत्रावली पेश हुई। [illegible] पेशकार हाजिर। वादी [illegible] प्रतिवादी [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] लिखित [illegible] आदेश के [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्रावली [illegible] [illegible] को।

[illegible]

GCMS
2013/00124

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:54:18 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 164 दायर दिनांक : 03.07.2013

GCMS:- 2013/00124

भगवानदास (मृतक) जरिये वारिसान बनाम सोहनलाल व अन्य
(बाद निरस्ती वाद इकतरफा प्रतिदावा अनुसार वाद शीर्षक)

हीरालाल पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

1. भगवानदास पुत्र किशोरीलाल जाति अरोड़ा निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक) जरिये वारिसान :–

   1/1. मूलीदेवी धर्मपत्नी स्व. भगवानदास
   1/2. सुनील कुमार पुत्र स्व. भगवानदास
   1/3. मुकेश कुमार पुत्र स्व. भगवानदास
   1/4. उर्मिला पुत्री स्व. भगवानदास
   } अकवाम अरोड़ा निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

2. सोहनलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी भभूतासिंह कॉलोनी, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)
3. ज्ञानसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
4. देवेन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
5. प्रवीण शर्मा धर्मपत्नी सुशील कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 12, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
6. नीतू शर्मा धर्मपत्नी मोहित जेतली जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 12, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
7. मोनिका शर्मा धर्मपत्नी सचिन जेतली जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 12, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
8. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़
9. उप–पंजीयक, सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:54:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

{वाद सं. 164/2013 भगवानदास (मृतक) जरिये वारिसान मूलीदेवी वगैरह बनाम सोहनलाल व अन्य में प्रतिदावा हीरालाल बनाम भगवानदास (मृतक) जरिये वारिसान मूलीदेवी वगैरह व अन्य}

प्रतिदावा वास्ते खाता विभाजन

प्रतिदावा में उपस्थित :
1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक प्रतिदावाकर्ता
2. तहसीलदार, सूरतगढ़ राज्य सरकार की ओर से

निर्णय

दिनांक : 26.12.2024

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। अभिभाषक प्रतिदावाकर्ता एवं राज्य पक्ष उपस्थित। शेष के विरुद्ध मूल वाद में दिनांक 11.09.2014 को उपस्थित ना होने के कारण, इकतरफा सुनवाई कर पत्रावली अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज की गई। मात्र प्रतिवादी सं. 7/प्रतिदावाकर्ता के द्वारा प्रतिदावा की सुनवाई हेतु प्रार्थना करने पर प्रतिवादी सं. 7 के विरुद्ध इकतरफा आदेश को निरस्त कर वाद/प्रतिदावा में सुनवाई की गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में, पत्रावली के विचारण तथ्य इस प्रकार से हैं कि मूल वाद भगवानदास द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उसके नाम मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 71 नया, 85 पुराना के खसरा नं. 11/5 मिन 10 में वर्तमान में 6.198 है0 बारानी रकबा खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी को उक्त 6.198 है0 व 2.530 है0, कुल 8.728 है0 सम्वत् 2037 को आवंटन हुआ, जो 22.06.1996 को पुख्ता आवंटित होकर, 10.06.2009 को खातेदारी हुआ, जिसमें से 2.530 है0 रकबा हिमिका भादू को विक्रय किया गया, जो उसने भप्पीदेवी व ओमप्रकाश को विक्रय किया, जो आगे भप्पीदेवी ने हीरालाल व ओमप्रकाश ने प्रवीण शर्मा आदि को विक्रय कर दिया। वादी भगवानदास अपनी शेष 6.198 है0 भूमि पर काबिज है, इसलिए प्रतिवादीगण उसकी भूमि में दखलन्दाजी ना करें, इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में प्रतिवादी सं. 7 हीरालाल के अतिरिक्त किसी का जवाबदावा प्रस्तुत नहीं हुआ। प्रतिवादी हीरालाल ने अपना जवाबदावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर, विरुद्ध वादीगण प्रतिदावा प्रस्तुत किया कि प्रश्नगत रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 11/5 मिन 10 में उसके नाम 1.265 है0 खातेदारी भूमि दर्ज कागजात राज है एवं मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:34:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

{वाद सं. 164/2013 भगवानदास (मृतक) जरिये वारिसान मूलीदेवी वगैरह बनाम सोहनलाल व अन्य में प्रतिदावा हीरालाल बनाम भगवानदास (मृतक) जरिये वारिसान मूलीदेवी वगैरह व अन्य}

कब्जा 1.00 बीघा राष्ट्रीय राजमार्ग पर व 5.00 बीघा पीछे की तरफ लम्बाई में स्थित है। मुताबिक कब्जा स्वयं का खाता अलग करने का प्रतिदावा प्रस्तुत किया। मूल वाद के सुनवाई के दौरान भगवानदास की मृत्यु होने पर उसके वारिसों को पक्षकार बनाकर तनकीयात कायम की गई। साक्ष्य वादी हुए, किन्तु इसके पश्चात् मूल वाद अदम हाजरी में दिनांक 11.09.2024 को निरस्त कर दिया गया व दिनांक 12.09.2024 को प्रतिदावाकर्ता के विरुद्ध इकतरफा कार्यवाही के आदेश निरस्त कर प्रतिदावा पर सुनवाई की गई व तनकीयात, जो पूर्व में कायम की गई, उसी अनुसार साक्ष्य प्राप्त किये गये। प्रतिदावा के आधार पर मूल वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई :-

6. आया प्रतिवादी नं. 7 अपने हिस्सा व कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करवाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी नं. 7)

7. आया खाता विभाजन के अनुसार प्रतिवादी नं. 7 अपने नाम के रकबा को उसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है ? (प्रतिवादी नं. 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

प्रतिदावाकर्ता, जो मूल वाद में प्रतिवादी नं. 7 था, ने उक्त तनकीयात के साक्ष्य में पड़ौसी काश्तकार भूपेन्द्र एवं स्वयं के शपथ-पत्र पर बयान प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली कर तर्क सुने गये।

विद्वान अभिभाषक प्रतिदावाकर्ता ने प्रतिदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिदावाकर्ता अंकित काश्तकार है। मौका पर कब्जा अनुसार खाता विभाजन का किसी पक्षकार द्वारा विरोध नहीं किया गया है। प्रत्येक अंकित काश्तकार को अपने नाम अंकित भूमि का खाता विभाजन करवाने का अधिकार है। मौका कब्जा का स्वतंत्र गवाह एवं स्वयं प्रतिदावाकर्ता के शपथ-पत्र वाद में प्रस्तुत हैं। विभाजन के नियमों के अन्तर्गत काश्तकारों की भूमि की किस्म का ध्यान रखते हुए विभाजन के समय यथासम्भव कब्जा अनुसार खाता विभाजन का प्रार्थना-पत्र है, प्रतिदावा स्वीकार कर खाता विभाजन करने की प्रार्थना की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:54:18 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

{वाद सं. 164/2013 भगवानदास (मृतक) जरिये वारिसान मूलीदेवी वगैरह बनाम सोहनलाल व अन्य में प्रतिदावा हीरालाल बनाम भगवानदास (मृतक) जरिये वारिसान मूलीदेवी वगैरह व अन्य}

राज्य पक्ष की ओर से राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की गई।

तर्क सुनने के बाद, तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का पठन एवं मनन करने के उपरान्त पाया कि प्रतिदावाकर्ता हीरालाल पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल के नाम बतौर खातेदार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ के खाता सं. 76 नया, 85 पुराना के खसरा नं. 91/11 में 1.265 है0 बारानी भूमि बतौर खातेदारी दर्ज कागजात राज है, जिसका खाता विभाजन करवाने का उसे पूर्ण अधिकार है। खाता विभाजन के समय भूमि की किस्म का ध्यान रखते हुए कब्जे को कायम रखने के नियम भी हैं, इसलिए प्रतिदावा स्वीकृति योग्य बनता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रतिदावाकर्ता का प्रतिदावा स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता सं. 76 नया, 85 पुराना में अंकित खसरा नं. 91/11 की कुल 8.7280 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिदावाकर्ता/वादी हीरालाल के नाम से अंकित 1.265 है0 बारानी भूमि (1.00 बीघा राष्ट्रीय राजमार्ग पर व 5.00 बीघा पीछे की तरफ लम्बाई में) का खाता विभाजन अन्य सहखातेदारान से अलग किये जाने का स्वीकार किया जाता है। खाता विभाजन के समय उक्त अंकित हीरालाल की भूमि की मौका व कब्जा की जांच कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश प्रदान किये जाते हैं। विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को पत्र अलग से जारी हो। इसी अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी की जावे।

पत्रावली इसी अनुसार निर्णय शुमार कर दाखिल दफ्तर की जावे। बाद आने विभाजन प्रस्ताव, पक्षकार पत्रावली पुनः पेशी में लेने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर, अन्तिम आदेश व डिक्री जारी [illegible] की कार्यवाही करने को स्वतंत्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:54:18 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 26..12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

प्राथमिक डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **सन्दीप कुमार, आर.ए.एस.**

अनवान :–

हीरालाल पुत्र ओमप्रकाश जाति अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 14, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) **–वादी**

बनाम

1. **भगवानदास पुत्र किशोरीलाल जाति अरोड़ा निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) (मृतक) जरिये वारिसान :–**
   - **1/1. मूलीदेवी धर्मपत्नी स्व. भगवानदास**
   - **1/2. सुनील कुमार पुत्र स्व. भगवानदास**
   - **1/3. मुकेश कुमार पुत्र स्व. भगवानदास**
   - **1/4. उर्मिला पुत्री स्व. भगवानदास**

   अकवाम अरोड़ा निवासी उदयपुर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. **सोहनलाल पुत्र चेतराम जाति जाट निवासी भभूतासिंह कॉलोनी, हनुमानगढ़ तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.)**
3. **ज्ञानसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी जाखड़ावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)**
4. **देवेन्द्र पुत्र शंकरलाल जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
5. **प्रवीण शर्मा धर्मपत्नी सुशील कुमार जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 12, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
6. **नीतू शर्मा धर्मपत्नी मोहित जेतली जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 12, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
7. **मोनिका शर्मा धर्मपत्नी सचिन जेतली जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नं. 12, सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)**
8. **तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़**
9. **उप–पंजीयक, सूरतगढ़**

–प्रतिवादीगण

प्रतिदावा वास्ते खाता विभाजन अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा नं. 164 वर्ष 2013 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री भगवान दत्त शर्मा एवं राज पैरोकार** के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है।

वादी का प्रतिदावा स्वीकार किया जाकर, निम्न प्रकार से **प्राथमिक डिक्री** जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

रोही उदयपुर सादानी तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 के खाता सं. 76 नया, 85 पुराना में अंकित खसरा नं. 91/11 की कुल 8.7280 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि में से प्रतिदावाकर्ता/वादी हीरालाल के नाम से अंकित 1.265 है0 बारानी भूमि (1.00 बीघा राष्ट्रीय राजमार्ग पर व 5.00 बीघा पीछे की तरफ लम्बाई में) का खाता विभाजन अन्य सहखातेदारान से अलग किये जाने का स्वीकार किया जाता है। खाता विभाजन के समय उक्त अंकित हीरालाल की भूमि की मौका व कब्जा की जांच कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को आदेश प्रदान किये जाते हैं।

नोज ....×......... मुबलिग ....×......... बाबत ....×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ....×.............. फैसला की पाली ....×.......... आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करे।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **16.12.2024** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2024.12.27 17:54:18 IST
Reason: SelfAttested